

मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियों की सूची
राज्य शासन द्वारा पिछड़े वर्ग की जाति/उपजाति/वर्ग समूह की अद्यतन संशोधित सूची निम्न अनुसार है।

क्र	नाम जाति/उपजाति/वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
	2	3	4
1.	अहीर, ब्रजवासी, गवली, गोली, जादव (यादव) बरगाही, बरगाह, ठेठवार, राउत गोवारी, (ग्वारी) गोवरा, गवारी, ग्वारा, गोवारी महाकुल (राउत) महकुल, गोप ग्वाली, लिंगायत, गोपाल	पशुपालन व दूध विक्रेता का व्यवसाय करने वाली जाति पशुपालन	यादव अहीर जाति की उपजाति के रूप में शामिल की गई है, अधिकांश अहीर व उसकी उपजातियां अपने को यादव कहती हैं व लिखती हैं, यादव राजपूत इसमें शामिल नहीं है.
2.	असारा, असाड़ा	कृषि कार्य	-
3.	वैरागी (वैष्णव)	धार्मिक भिक्षावृत्ति करने वाली जाति	वैष्णव को बैरागी की उपजाति के रूप में शामिल किया गया है, ब्राम्हण जाति के बैरागी शामिल नहीं किये गये हैं
4.	बंजारा, बंजारी, मथुरा, नायक, नायकड़ा, धरिया, लभाना, लबाना, लामने	घुम्मकड़ बैलों को हांककर व्यवसाय करने वाली जाति	नायक को बंजारा जाति की उपजाति के रूप में सम्मिलित किया है. नायक ब्राम्हण शामिल नहीं हैं
5.	बरई, तमोली, तम्बोली, कुमावट, कुमावत, वारई, बरई (चौरसिया)	पान उत्पादक व विक्रेता	बरई तथा तमोली जाति के लोग अपने को चौरसिया कहते हैं.
6.	बढई, सुतार, दवेज, कुन्देर (विश्वकर्मा)	कृषि कार्य हेतु लकड़ी के औजार बनाना, लकड़ी का फर्नीचर करना.	विश्वकर्मा को बढई की उप जाति के रूप में सम्मिलित किया गया है
7.	बारी	पत्तों से पत्तल बनाने वाली जाति	-
8.	वसुदेव, वसुदेवा, वासुदेव, वासुदेवा, हरबोला, कापड़िया, कापड़ी, गोंधली, थारवार	विरुदावली गाना एवं बैल भैंसा का व्यापार करना व धार्मिक भिक्षावृत्ति	इस क्रमांक में वसुदेव जाति की सभी उपजातियों को शामिल किया गया है
9.	भड़भूंजा, भुंजवा, भुर्जी, धुरी या धूरी	चना, लाई, ज्वार इत्यादि खाद्यान्न का भाड़ में भूंजना	इसमें वैश्य जाति से अपने को संबद्ध करने वाली जाति शामिल नहीं है.
10.	भाट, चारण, सुतिया, सालवी, राव, जनमालोंधी, जसोंधी, मरुसोनिया	राजा के सम्मान में प्रशंसात्मक कविता पाठ व विरुदावली का गायन करना	-
11.	छीपा, भावसार, नीलगर, जीनगर, निराली, रंगारी, मनधाव	कपड़ों में छपाई व रंगाई	-
12.	ढीमर, भोई, कहार, कहरा, धीवर/मल्लाह/ नावड़ा/तुरहा, केवट, (कश्यप, निषाद, रायकवार, बाथम), कीर (भोपाल, रायसेन, सीहोर जिलों को छोड़कर) ब्रितिया (वृत्तिया) सिंगरहा, जालारी (जालारनलु बस्तर जिले में) सोंधिया	मछली पकड़ना, पालकी ढोना, घरेलू नौकरी करना, सिंघाड़ा व कमल गटआ उगाना, पानी भरना, नाव चलाना	बाथम, कश्यप, रायकवार, भोई उपजातियां हैं. इसी रूप में सम्मिलित किया गया है, कीर जाति भोपाल, रायसेन, सीहोर जिलों में अनुसूचित जनजाति में शामिल हैं. जालारी(जालारनलु) बस्तर जिले में पायी जाती है।
13.	पंवार, पोवार, भोयर, भोयार	कृषि एवं कृषि मजदूरी	इसमें पंवार/पोवार राजपूत शामिल नहीं है।

14.	भुर्तिया, भुतिया	पशुपालन व दुग्ध व्यवसाय	-
15.	भोपा, मानभाव	धार्मिक भिक्षावृत्ति	इस जाति का वह समुदाय जो गैर ब्राह्मण है. सूची में शामिल किया गया है.
16.	भटियारा	भट्टी लगाकर सार्वजनिक उपयोग के लिये खाद्य पदार्थ तैयार करना है.	-
17.	चुनकर, चुनगर, कुलवंधिया, राजगिर	चूना, गारा का कार्य करने व भवन निर्माण इत्यादि में कारीगरी का कार्य करना	-
18.	चित्तारी	दीवारों पर चित्रकारी करना	-
19.	दर्जी, छीपी, छिपी, शिपी, मावी, (नामदेव)	कपड़ा सिलाई करना	-
20.	धोबी (भोपाल, रायसेन, सीहोर जिलों को छोड़कर) बट्टी, बरेठा, रजक	कपड़ा साफ करना	धोबी, भोपाल, रायसेन व सीहोर जिले में अनु.जाति में शामिल हैं.
21.	मीना (रावत) देशवाली, मेवाली, मीणा (विदिशा जिले की सिरोंज एवं लटेरी तहसील को छोड़कर)	कृषक	रावत मीना जाति की उपजाति है जो ब्राह्मण नहीं है. मीणा/मीना सिरोंज तहसील में अनुसूचित जनजाति में घोषित है.
22.	किरार, किराड़, धाकड़	कृषक	राजपूत इसमें शामिल नहीं है
23.	गड़रिया, धनगर, कुरमार, हटगर, हटकर, हाटकार, गाड़री, धारिया, धोषी (गड़रिया) गारी, गायरी, गड़रिया (पाल बघेले)	भेड़ बकरी पालना	गड़रिया जाति व उसकी उप जातियाँ अपने को पाल व बघेले भी कहते हैं पाल व बघेले गड़रिया जाति को उप जाति के रूप में शामिल किये गये हैं. बघेल राजपूत पिछड़ी जाति में शामिल नहीं हैं.
24.	कड़ेरे, धुनकर, धुनिया, धनका, कोड़ार	कपास की रूई धुनकने का कार्य करना. कड़ेरे आतिशबाजी बनाने का कार्य भी करते हैं	-
25.	कोष्टा कोष्टी (देवांगन) कोष्टा, माला, पदमशाली, साली, सुतसाली, सलेवार, सालवी, देवांग, जन्द्रा, कोस्काटी, कोशकाटी (लिंगायत) गढवाल, गढेवाल, गरेवार, गरवार, डुकर, कोल्हाटी	बुनकर	इस समूह में सम्मिलित डुकर कोल्हाटी कर्त्तव्य व कसरत का प्रदर्शन करते हैं.
26.	धोली/डफाली/डफली/ढोली, दमामी, गुरव	गांव पुरोहित का कार्य शिव मंदिरों में पूजा व उपजातियां ढोल बजाने का कार्य करती	इस समूह में ब्राम्हण समूह शामिल नहीं है
27.	गुसाई, गोस्वामी	धार्मिक भिक्षावृत्ति, मंदिरों में महंती	ब्राम्हण जाति से संबंधित कहने वाले लोग इस समूह में सम्मिलित नहीं है.
28.	गूजर (गुर्जर)	कृषक, पशुपालन	राजपूत व क्षत्रिय कहलाने वाले सम्मिलित नहीं हैं.
29.	लोहार, लुहार, लोहपीटा, गड़ोले, हुंगा लोहार, लोहपटा, गड़ोला, लोहार (विश्वकर्मा)	लोहे के औजार बनाने का कार्य करना	विश्वकर्मा में ब्राम्हण वर्ग सम्मिलित नहीं हैं.
30.	गारपगारी, नाथ-जोगी, जोगीनाथ, हरिदास	गारपगारी ओलावृष्टि की रोक करके फसल की रक्षा का कार्य करते हैं. जोगी व इस समूह की अन्य जातियां	जोगी धार्मिक भिक्षावृत्ति करते हैं लेकिन इस समूह में जो ब्राम्हण हैं, वे शामिल नहीं हैं

		धार्मिक भिक्षावृत्ति का व्यवसाय करते हैं.	
31.	घोषी	भैंस पालक व पशुपालक	इसमें राजपूत क्षत्रिय शामिल नहीं हैं
32.	सोनार, सुनार, झांणी, झाड़ी (स्वर्णकार) अवधिया औधिया, सोनी (स्वर्णकार)	स्वर्ण एवं चांदी के आभूषण उगढ़ने व बनाने का कार्य करना	इस समूह में सोना-चांदी के व्यापारी वर्ग या ज्वेलर्स सम्मिलित नहीं हैं
33.	(अ) काछी (कुशवाहा, शाक्य, मौर्य) कोयरी या कोइरी (कुशवाहा), पनारा, मुराई, सोनकर कोहरी	शाक-सब्जी उत्पादन व साग-सब्जी तथा फूल उत्पादन व बागवानी कृषि कार्य एवं मजदूरी	कुशवाहा काछी कोयरी व कोइरी जाति की उपजाति हैं. काछी जाति के शाक्य व मौर्य भी उपजातियां हैं. यह जाति मध्यप्रदेश के बालाघाट एवं सिवनी जिलों में पाई जाती है.
	(ब) माली (सैनी), मरार, फूलमाली(फूलमारी)	-	कुशवाह राजपूत इसमें शामिल नहीं हैं.
34.	जोशी (भड्डरी) डकोचा, डकोता	ज्योतिष का व्यवसाय व शनि का दान लेना	शनिदेव के नाम पर भिक्षा-वृत्ति व मृत्यु दान लेना, जोशी जाति के लोग करते हैं, जोशी ब्राह्मण इसमें शामिल नहीं हैं.
35.	लखेरा, लखेर, कचेरा, कचेर	लाख का कार्य करने कांच की चूड़ियां बेचना	-
36.	ठठेरा, कसार, कसेरा, तमेरा, तम्बटकर, ओटारी, ताम्रकार, तमेर, घड़वा, झारिया, कसेर	तांबा, पीतल व कांसा के बर्तन बनाना.	-
37.	खातिया, खाटिया, खाती	कृषक	-
38.	कुम्हार (प्रजापति), कुंभार (छतरपुर, दतिया, पन्ना, टीकमगढ़, सतना, रीवा, सीधी व शहडोल जिलों को छोड़कर)	मिट्टी के बर्तन बनाना	कुम्हार जाति छतरपुर, दतिया, पन्ना, टीकमगढ़, सतना, रीवा, सीधी व शहडोल जिलों में अनुसूचित जाति में शामिल हैं
39.	कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुर्मी, पाटीदार (कुलमी, कुल्मी, कुलम्बी) कुर्मवंशी, चन्द्राकर, चन्द्रानाहू, कुंभी गवैल (गमैल) सिरवी	कृषक, कृषि मजदूरी	-
40.	कमरिया	पशुपालक व दुग्ध विक्रेता	-
41.	कौरव, कांवरे	कृषक	-
42.	कलार (जायसवाल) कलाल, इड़सेना	मदिरा (शराब) बेचना	-
43.	कलौता, कलौटा, कोलता, कोलटा	कृषक	-
44.	लोनिया, लुनिया, ओड़, ओडे, ओड़िया, नौनिया, मुरहा, मुराहा, मुड़हा, मुड़ाहा	भ्रमक बनाना व साफ करना, मिट्टी खोदना	-
45.	नाई (सेन, सविता, उसरेटे, श्रीवास), म्हाली, नाव्ही, उसरेटे	बाल बनाना, विवाह शदी में संस्कार सम्पन्न कराना.	सेन, सविता, श्रीवास, उसरेटे नाई की उपजातियों के रूप में सम्मिलित की गई हैं.
46.	नाथटा, नाथड़ा	लघु कृषक, कृषि मजदूरी	-
47.	पनका, पनिका (छतरपुर, पन्ना, दतिया, टीकमगढ़, सतना, रीवा, सीधी, शहडोल जिलों को छोड़कर)	मजदूरी करना गांव की चौकीदारी करना. बुनकर	पनिका छतरपुर, पन्ना, दतिया, टीकमगढ़, रीवा, सतना, सीधी व शहडोल जिले में जजा- शामिल हैं.
48.	पटका, पटकी, पटवा	सिल्क के धागे कपड़े व सत बनाना	जैन धर्म के लोगों को छोड़कर
49.	लोधी, लोधा, लोध	कृषक	-

50.	सिकलीगर	शस्त्र सफाई लोहे के औजारों की धार तेज करना	-
51.	तेली (ठाठ, साहू, राठौर)	तेल पेरना व बेचने का व्यवसाय करना	तेली जाति के लोग अपने को साहू व राठौर कहते हैं. राठौर का तेली की उपजाति में सम्मिलित किया गया है. राठौर राजपूत इसमें शामिल नहीं है.
52.	तुरहा, तिरवाली, बड़ड़र	मिट्टी खोदने का काम करना, पत्थर तरासना	-
53.	किसड़ी, कसड़ी	नाच-गाकर मनोरंजन करने वाले	-
54.	वोवरिया	मजदूरी	अनुसूचित जनजाति कोरकू की उपजाति है. बैतूल जिले की भंवर-गढ क्षेत्र में निवास करती है
55.	रोतिया, रौतिया	जो कृषि कार्य करती है. पूर्व में सैनिक वृत्ति करती थीं	सरगुजा तथा जसपुर क्षेत्र में पाई जाती है.
56.	मानकर, नहाल	जंगली जनजाति मजदूरी करना	मैनकर की उपजाति निहाल अनुसूचित जनजाति में शामिल है.
57.	कोटवार, कोटवाल (भिण्ड, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इन्दौर, झाबुआ, खरगौन, मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन एवं विदिशा जिलों को छोड़कर)	ग्राम चौकीदारी	कोटवाल जाति की भिण्ड, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इन्दौर, झाबुआ, खरगौन, मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन एवं विदिशा जिलों में अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है.
58.	खैरुवा	कत्था बनाना	खैरुवा, खैरवार की उपजाति है. खैरवार अनुसूचित जन जाति में शामिल हैं.
59.	लोढा (तंवर)	कृषक, मजदूरी, लकड़ी बेचकर जीवन यापन करना	-
60.	मोवार	जंगली जानवरों का शिकार व मजदूरी.	एक अघोषित आदिम जजा
61.	रजवार	कृषक, कृषि मजदूर	-
62.	अघरिया	कृषक, कृषि मजदूरी	यह जाति अगरिया जनजाति से भिन्न जाति है.
63.	तिछर, तूरी	मछली पकड़ना व उसका व्यवसाय करना नाविक बांस एवं बैत का सामान बनाने का कार्य करना.	-
64.	भारुड़	पशुओं की पीठ पर लदान द्वारा माल ढोना.	मुगलकाल में फौज की रसद ढोने का कार्य भी करते थे.
65.	सुत सारथी-सईस/सहीस	घोड़ों की देखरेख, घोड़ागाड़ी हांकना	-
66.	क्षेलंगा, तिलगा	कृषि श्रमिक	जंगली आदिम जाति जो क्षेलुगु भाषी हैं. विशेषकर बस्तर जिले में पाई जाती हैं.
67.	राघवी	कृषि कार्य करना	-

68.	रजभर	कृषि मजदूरी	-
69.	खारोल	कृषि मजदूरी	-
70.	सरगरा	ढोल बजाना	विलोपित
71.	गोलान, गवलान, गौलान	गाय, भैंस पालना और दूध का व्यवसाय करना.	-
72.	रज्जड़, रज्जड़	कृषि मजदूरी	-
73.	जादम	कृषि मजदूरी	-
74.	दांगी	कृषक	दांगी राजपूतों को सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है.
75.	गयार/परधनिया	कृषि मजदूर एवं पालतू पक्षी पकड़कर बेचने वाले	रायगढ़ जिले में अधिकतर पाये जाते हैं.
76.	कुड़मी	कृषक	अधिकतर बैतूल जिले में निवास करते हैं.
77.	मेर	कृषि मजदूर	गुना जिले में आबाद हैं.
78.	वया महरा/कौशल, वया	बुनकर	अधिकांशतः दुर्ग जिले में निवास करते हैं.
79.	पिंजारा (हिन्दू)	-	-
80.	विलोपित	-	-
81.	अनुसूचित जातियां जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है.	पेशा वही है जो धर्म परिवर्तन के पूर्व करते आ रहे हैं.	अनुसूचित जातियां जिन्होंने ईसाई व बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है, उनको आयोग द्वारा पिछड़े वर्ग में शामिल कर लिया गया है.
82.	अंजना	-	-
83.	थोरिया	-	-
84.	गेहलोत मेवाड़ा	-	-
85.	रेवारी	-	-
86.	रुआला/रुहेला	-	-
	मुस्लिम धर्मावलम्बी वर्ग/समूह		
87.	(1) रंगरेज	कपड़ों की रंगाई	हिन्दू छीपा जाति के समान व्यवहार
	(2) भिशी, अब्बासी "सक्का"	पानी भरने का काम	हिन्दुओं की कहार जाति के समान धंधा
	(3) छीपा	कपड़ों में छपाई करना	हिन्दू छीपा जाति के समान व्यवहार
	(4) हेला	मलमूत्र सफाई का कार्य	हिन्दू मेहत्तर जाति की तरह कार्य
	(5) भटियारा	भोजन बनाने का कार्य	-
	(6) धोबी	कपड़ा धोने का कार्य	हिन्दुओं की धोबी जाति के समान व्यवस्था
	(7) मेवाती	कृषि, पशुपालन कार्य के समान कार्य.	हिन्दू मेवाती जाति के समान कार्य.
	(8) पिंजारा, नद्दाक, बेहना, धुनिया, धुनकर फकीर, शाह, साई, कब्रखोदू	रुई धुनाई का कार्य भिक्षावृत्ति, एवं कब्र खोदना	हिन्दुओं को कडेरा जाति के समान
	(9) कुंजड़ा, राईन	साग सब्जी फल इत्यादि बेचना	हिन्दुओं की काछी जाति के समान साग सब्जी का कार्य
	(10) मनिहार	कांच की चूड़ियां व बिसैत खाने का सामान बेचना.	हिन्दुओं की कचेर जाति के समान धंधा

(11) कसाई, कस्साव	पशुओं का वध एवं उनका मांस/गोشت बेचने का कार्य.	हिन्दू खटिक जाति के समान जंधा
(12) मिरासी	विरुदावली, यशोगान का वर्णन करना	हिन्दू भाट जाति के तरह पेशा.
(13) मिरधा	चौकीदारी/रखवाली	हिन्दुओं की मिरधा की तरह व्यवसाय
(14) बढई (कारपेन्टर)	लकड़ी का सामान एवं फर्नीचर बनाने का काम.	हिन्दू बढई जाति के समान पेशा
(15) हज्जाम (बारबर)	बाल बनाने का कार्य.	हिन्दुओं की नाई जाति के समान पेशा करने वाले.
(16) हम्माल	वजन ढोना व पल्लेदारी करना	-
(17) मोमिन जुलाहा (वे जुलाहे जो मोमिन हैं)	कपड़ा बुनाई का कार्य	हिन्दू कोस्टी/कोष्टा जाति के समान पेशा.
(18) लुहार, नागौरी	लोहे के औजार व अन्य सामान बनाना	हिन्दुओं के लुहार/लोहार जाति की तरह पेशा करने वाले.
(19) तड़वी	कृषि कार्य.	-
(20) बंजारा	घुमक्कड़ जाति/समूह बैलगाड़ी से सामान ढोना तथा पशुओं को बेचने का व्यवसाय.	हिन्दुओं में बंजारा जाति के समान व्यवसाय
(21) मोची	चमड़े के जूते चप्पल आदि बनाना.	हिन्दुओं में चमार जाति के समान व्यवसाय करने वाले.
(22) तेली, नायता, पिंझारी (पिंझारा) कांकर	कोल्हू से पेरकर तेल निकालना व बेचना.	हिन्दू तेली जाति के समान पेशा करने वाले.
(23) पेमदी	पेड़ पौधों की कलम लगाने का धंधा	-
(24) कलईगर	बर्तनों व अन्य सामान में कलई करना	-
(25) नालबन्द	बैलों व घोड़ों के पैरों में नाल बांधने का काम.	-
(26) शीशगर	-	-
(27) गोली	पशुपालन व दूध विक्रेता का व्यवसाय करना.	क्रमांक-1 पर हिन्दू गोली के समकक्ष जाति.
(28) राजगीर	ईंट की जुड़ाई चूनागारा भवन निर्माण का कार्य.	क्रमांक-17 पर हिन्दू राजगिर के समकक्ष जाति.
(29) डफाली	मांगना	क्रमांक-26 पर हिन्दू डफाली के समकक्ष जाति
(30) घोषी व गवली, गोली	दूध बेचना व पशु चराना	क्रमांक-31 पर हिन्दू घोषी के समकक्ष जाति.
(31) सिकलीगर	औजारों पर धार लगाना	क्रमांक 50 पर हिन्दू सिकलीगर के समकक्ष जाति.
(32) संतरास खरादी कमलीगर	पत्थर की जुड़ाई एवं कटाई. लकड़ी पर खरादी कर कार्य तथा लाख का कार्य करना.	सूची क्रमांक-52 पर हिन्दुओं के समकक्ष मुस्लिम संतरास पत्थर तराशने का कार्य करते हैं. यह जाति सूची के क्रमांक - 87(14) पर अंकित बढई (कारपेन्टर, के आगे जोड़ी जाने से कैफियत पूर्ववत रहेगी.

	(33) नट	कलाबाजी दिखाना.	अनुसूचित जाति में सम्मिलित नट जाति के समक्ष जाति.
	(34) शेख मेहतर (35) नियारगर (36) गद्दी (37) मुक़ेरी, मकरानी (38) भांड, नक्काल	सफाई कामगार के रूप में कार्य करना. सुनार व सड़क की धूल कचरे व नदी नाले की मिट्टी एकत्रित कर उसे धोकर उसमें से धातु को एकत्रित कर सुनारों के पास बेंचना पशुपालन, कृषि तथा मजदूरी पशु पालन एवं पशु व्यवसाय	अनुसूचित जाति में सम्मिलित हिन्दू मेहतर के समक्ष जाति
88.	बैसवार	कृषि एवं कृषि मजदूरी करना.	-
89.	वाणी	आदिवासी अंचलों में वनोपज का व्यवसाय एवं ग्रामीण अंचलों में लगने वाले हाट बाजारों में सड़क के किनारे दुकाने लगाने का छोटा मोटा व्यवसाय करने वाले.	
90	विश्वनोई जाट	कृषि एवं कृषि मजदूरी कृषि एवं कृषि मजदूरी	
91	राठौर जाति	कृषि एवं कृषि मजदूरी	1. यह जाति मध्य प्रदेश में मुख्यतः उमरिया व शहडोल जिलों में निवासरत है । 2. क्षत्रिय राजपूत राठौर इसमें शामिल नहीं होंगे ।